F– 07–08
F– 07–11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु– 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 802 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 802

विषय/Sub:एमईसी-20बी पाउडर
"MEC - 20B Powder"

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स मेटलाइसिंग इक्विपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर-342 003,** द्वारा विकसित तथा उत्पादित "एमईसी-20बी पाउडर" को संदर्भ सं.:सेमिलैक/ 5070/ टीए- 802, दिनांक 16 जून 1997 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.:802 जारी किया गया था। तदुपरान्त संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 802/5आर दिनांक 09 दिसंबर 2013 द्वारा पाँचवीं बार नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

*This is to state that the **"MEC - 20B Powder"**, developed and manufactured by **M/s Metallising Equipment Company Pvt. Ltd, Jodhpur - 342 003**, was issued with Type Approval No.: 802 vide Reference No.: CEMILAC/ 5070/TA-802, dated: 16th June 1997. This approval was Subsequently renewed 5th time vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-802/5R, dated: 09th December 2013 with validity up to 31st December 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2018** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसंबर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए(कोरापुट),** द्वारा एच ए एल (कोरापुट), सूनाबेडा – 763 002, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st January 2019** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2023**, unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Koraput)**, C/o HAL (Koraput), Sunabeda – 763 002, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-802, दिनांक 16 जून 1997 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के **अनुच्छेद पाँच (05)** में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/ 5070/TA-802, dated: 16th June 1997 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र **(सेमिलैक)**, बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी।यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकताहै।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**, Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-802/6R
दिनांक / Date: 18 *December 2018*
फैक्ससं /.Fax No: 080–25230856

(पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

14/12/2018
14/12